...त खां बनाम राजस्थान सरकार

राजस्व प्रार्थना संख्या 208/2022

दिनांक 9.9.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी के ग्राम इन्द्रा नगर पटवार क्षेत्र नवोडा बेर, में मूल खसरा संख्या 1625 रकबा 80 बीघा अवस्थित था, तदोपरान्त उक्त मूल खसरा संख्या 1625 के खातेदारान के मध्य बंटवाडा होने से नये तरमीमी खसरा संख्या 4438/1625 रकबा 67–13 बीघा, खसरा संख्या 4439/1625 रकबा 11–17 बीघा व खसरा संख्या 1625 रकबा 00–10 बीघा बने,खसरा संख्या 4439/1625 व खसरा स. 1625 के खातेदारों के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिए उन्हें वर्तमान प्रकरण मे पक्षकार नहीं बनाया है, वर्तमान प्रकरण में नक्शा लट्ठा ट्रेस में जहां खसरा संख्या 4486/1625 की तरमीमी है, का ही विवाद है, जो खाता संख्या 01 भूमिधारक तहसीलदार के नाम दर्ज है, के गलत तरमीम का है ।

उक्त आराजी के नक्शा लट्ठा ट्रेस में 4486/1625 मौजा इन्द्रा नगर की तरमीम संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में मार्क जी से डी के स्थान पर गलत अंकित की हुई है, को दुरूस्त कर संलग्न परिशिष्ट 'अ' में माक ए से बी अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया गया।

नायब तहसीलदार पाटोदी को [illegible]022 को मौका रिपोर्ट पेश हेतु तहरीर जारी की गयी । जि[illegible] दिनांक 23.8.2022 को पेश हुई । नायब तहसीलदार [illegible] में जाहिर किया कि ग्राम इन्द्रानगर के [illegible] 80 बीघा में सहमती विभाजन द्वारा खसरा सं[illegible]–10 बीघा (0–0809 हैक्टर) सामलाती रास्ता प्रयोजन हेतु रखा गया है । खसरा संख्या 4486/1625 मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को खातेदारी में रखते हुए खसरा संख्या 4486/1625 रकबा 0–0647 गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया है ।

उक्त रास्ता नवोडाबेरा–केसरपुरा सडक से [illegible] कासुरो की ढाणी तक चलता है। मौके पर रास्ता है। प्रार्थी बरगत खां के माध्यम से पर चल रहे रास्ते के स्थान पर परिशिष्ट अ में दर्शाये [illegible] से [illegible] तक तरमीमी दुरस्त करवाना चाहता है। वर्तमान में रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता की भूमि 0–0647 हैक्टर है । यदि तरमीम दुरस्त की जाती है तो लगभग 0–4047 हैक्टर भूमि रास्ता में जायेगी। उक्त रास्ता आम–जन के लिए घुमावदार व असुविधा जनक रहेगा । तथा काश्तकार की जमीन भी ज्यादा खराब होगी । उक्त रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी ने लिखित एतराज किया कि उक्त रिपोर्ट एक पक्षीय है जो प्रार्थी को बिना सुने, सुचना के तैयार की गई है, इसलिए पुनः मंगवाई जावें। जिसका सरकारी पैरोकार ने रिपोर्ट पुनः मंगवाने में एतराज जाहिर किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। ग्राम इन्द्रानगर के मूल खसरा 1625 रकबा 80 बीघा में भूमि सहमती विभाजन द्वारा खसरा संख्या 1625 रकबा 0–10 बीघा (0–0809 हैक्टर) सामलाती रास्ता प्रयोजन हेतु रखा गया है । खसरा संख्या 4486/1625 मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को खातेदारी में रखते हुए खसरा संख्या 4486/1625 रकबा 0–0647 गैर0मु0 रास्ता दर्ज किया ।

प्रार्थी बरगत खां के द्वारा चाहे गये परिशिष्ट 'अ' के अनुसार तरमीमी दुरस्त करवाना चाहता है, परन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता हैक्टर मे दर्ज किया गया है और उक्त रास्ता काश्तकारों व आम नागरीकों के लिए आवागमन में बाधा उत्पन होगी व काश्तकारो की काश्त करने में भी व्यवधान पड़ने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है ।

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nandini soni
Date: 2023.10.05 19:07:43 IST
Reason: SelfAttested